न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 110 / 2023

तारीख रजू 11.12.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे कोटा।
..........आवेदक

बनाम

1. उमेश पंवार पुत्र श्री तोलाराम वेण्डर आफ मैसर्स मुरारीलाल शर्मा, रिफ्रेशमेन्ट टी स्टाल,नं. 1, प्लेटफार्म सं. 1, सवाई माधोपुर जं. / प.म.रे. (खाद्य कारोबारकर्ता)
   घर का पता – श्री उमेश पंवार पुत्र श्री तोलाराम, आदर्श नगर–बी, सवाई माधोपुर।
2. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा, अधिकृत व्यक्ति / प्रोपराईटर फर्म मैसर्स मुरारीलाल शर्मा, रिफ्रेशमेन्ट टी स्टाल,नं. 1, प्लेटफार्म सं. 1, सवाई माधोपुर (फर्म / लाईसेंसी)
   घर का पता – श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा, 7 / 90 रेलवे स्टेशन के पास, ब्रहमपुरी कोलोनी, सवाई माधोपुर।

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः–

दिनांक 01 / 07 / 2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेल जबलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश राठौर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 10.01.2023 को समय 10.30 बजे मैसर्स मुरारी लाल शर्मा, रिफ्रेशमेन्ट टी स्टॉल नं.–1, प्लेटफार्म सं.1 स.माधोपुर जं. / प.स.रे. का निरीक्षण किया। जहां पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री उमेश पंवार खाद्य पदार्थ " Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) की ब्रिकी कर रहे थे, उनको आवेदक ने अपना परिचय दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिए रखे खाद्य पदार्थ " Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से लगभग 02 किलोग्राम " Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत 625/– रूपये विक्रेता को नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक द्वारा खरीद शुदा खाद्य पदार्थ " Pakodi" (Prepered in refined Soyabean

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Oil) मात्रा 500 gm X 04 part = 02 kg को 4 बराबर–बराबर भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग में 500–500 ग्राम " Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) को प्लास्टिक जार में भरकर प्रत्येक पार्ट में 40–40 बूंद प्रिजरवेटिव फोरमेलिन डालकर अच्छी तरफ मिलाया गया एवं ढक्कन लगाकर प्रत्येक बोटल को पैक किया गया। इसके पश्चात् नमूने का लेबल तैयार कर लेबल पर आवेदक द्वारा एवं खाद्य कारोबारकर्ता श्री उमेश पंवार एवं गवाह श्री लक्ष्मण ने हस्ताक्षर किये। अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के कोड एवं कमांक डब्ल्यूसीआर/915–1096 दर्ज किया। इसके पश्चात लेबल को प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी पेपर में लपेट कर किनारे गोंद से चिपकाए इसके पश्चात अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप जिसका कोड एवं स्लिप नं. डब्ल्यूसीआर/915–1096 नीचे से उपर तक प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकायी तथा प्रत्येक पार्ट को धागे से बांधकर नियमानुसार चार सील चपड़ी की, प्रत्येक पार्ट के उपर–नीचे, दांये–बांए लगायी गयी। इसके बाद प्रत्येक पार्ट पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनो पर आए तथा आवेदक ने प्रत्येक पार्ट पर हस्ताक्षर किये। नमूना लेकर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। शेष तीन भाग सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की 3 प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गईं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के पत्र कमांक पमरे/एचक्यू/एच/एच 0602/एफएसएसए दिनांक 01.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/35/एक्ट/2023/128 दिनांक 19.01.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य पदार्थ " Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) Sub-standard पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने Sub-standard खाद्य पदार्थ " Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

आवेदक ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ " Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

नियम 2011 की धारा 26 उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त से **खाद्य पदार्थ** " Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जुर्म स्वीकार करते हुए अभियुक्त की ओर से न्यूनतम जुर्माना लगाते हुए प्रकरण निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/35/एक्ट/2023/128 दिनांक 19.01.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ " Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil)** सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस प्रकरण में जुर्म स्वीकार किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्राविधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** " Pakodi" (Prepered in refined Soyabean Oil) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **01.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर